

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 63]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2011—माघ 26, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. एफ. ए-3-18-2011-1-पांच(11).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 20-क की उपधारा (1-ख) के साथ पठित उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. ए-3-18-2010-1-पांच(88), दिनांक 19 अक्टूबर 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, पैरा 4 में, अंक "31-12-2010" के स्थान पर, अंक "28-2-2011" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2011

क्र. एफ. ए-3-18-2010-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-ए-3-18-2010-1-पांच(11), दिनांक 15 फरवरी 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 15th February 2011

No. F-A-3-18-2010-1-V(11).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1-B) read with sub-section (2) of Section 20-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F-A-3-18-2010-1-V(88), dated the 19th October, 2010 namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in para 4, for the figures “31-12-2010”, the figures “28-02-2011” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl.Secy.